संविधान के संशोधन
Amendments of the Constitution

❖ पहला संशोधन अधिनियम, 1951-

- 9 वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें प्रावधान किया गया कि इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा (judicial review) नहीं की जा सकती।
- अनुच्छेद 15 में एक नया उपखंड 15 (4) जोड़ा गया जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने के लिये राज्यों को शक्ति दी गई।

❖ सातवां संशोधन अधिनियम, 1956-

- दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय होने का प्रावधान पेश किया गया था।
- वर्ग ए, बी, सी और डी राज्यों का उन्मूलन- 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया।

❖ नौवां संशोधन अधिनियम, 1960-

- बेरुबारी संघ (पश्चिम बंगाल) के भारतीय क्षेत्र का पाकिस्तान को अधिग्रहण।

❖ 10वां संशोधन अधिनियम, 1961-

- दादरा, नगर और हवेली भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हैं।

❖ 12वां संशोधन अधिनियम, 1962-

- गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया।

❖ 13वां संशोधन अधिनियम, 1962-

- अनुच्छेद 371ए के तहत विशेष दर्जे के साथ नागालैंड का गठन किया गया था।

❖ 14वां संशोधन अधिनियम, 1962-

- पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया।
- हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों को विधायिका और मंत्रिपरिषद प्रदान की गई।

❖ 21वां संशोधन अधिनियम, 1967-

- सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा थी।

❖ 26वां संशोधन अधिनियम, 1971-

- देशी रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए।

❖ 31वां संशोधन अधिनियम, 1972-

- लोकसभा सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया।

❖ 35वां संशोधन अधिनियम, 1974-

- सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को भारत के 'एसोसिएट स्टेट' का दर्जा दिया गया।

❖ 36वां संशोधन अधिनियम, 1975-

- सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था।

❖ 42वां संशोधन अधिनियम, 1976-

- संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में तीन नए शब्द जोड़े गए- 'समाजवादी' (Socialist) , 'पंथ निरपेक्ष' (Secular) तथा 'अखंडता' (Integrity) !
- संविधान में भाग-4 क के तहत एक नया अनुच्छेद 51 जोड़कर नागरिकों के मूल कर्त्तव्य निर्धारित किये गए। यह संकल्पना (मूल कर्त्तव्य) सोवियत संघ (पूर्व) के संविधान से प्रेरित है।

❖ 44वां संशोधन अधिनियम, 1978-

- संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 (1) (च) एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों से हटा दिया गया जिसे एक नए अनुच्छेद 300 क के माध्यम से कानूनी अधिकार (Legal Right) बना दिया गया।
- अनुच्छेद 74 (1) में संशोधन कर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिये एक बार लौटा सकता है , परंतु उसके बाद इस सलाह को मानने के लिये राष्ट्रपति बाध्य होगा।

❖ 52वां संशोधन अधिनियम, 1985-

- भारत के संविधान में 52वें संशोधन की दसवीं अनुसूची को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान में नया शब्द 'राजनीतिक दल' शामिल हुआ।

❖ 61वां संशोधन अधिनियम, 1989-

☛ इसमें लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।

❖ 65वां संशोधन अधिनियम, 1990-

☛ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई और एससी और एसटी के लिए एक विशेष अधिकारी के कार्यालय को हटा दिया गया।

❖ 69वां संशोधन अधिनियम, 1991-

☛ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' का विशेष दर्जा दिया गया था।

❖ 71वां संशोधन अधिनियम, 1992-

☛ कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।

❖ 73वां संशोधन अधिनियम, 1992-

☛ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

☛ भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं और उनसे संबंधित प्रावधानों को मान्यता देने के लिए एक नया भाग-IX और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।

❖ 74वां संशोधन अधिनियम, 1992-

☛ शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

☛ भारतीय संविधान में एक नया भाग IX-A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई।

❖ 86वां संशोधन अधिनियम, 2002-

☛ प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा।

❖ 92वां संशोधन अधिनियम, 2003-

☛ बोडो, डोगरी (डोंगरी), मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया, कुल आधिकारिक भाषाओं को 18 से बढ़ाकर 22 कर दिया गया।

❖ 97वां संशोधन अधिनियम, 2011-

☛ सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

☛ सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया (अनुच्छेद 19)।

☛ सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य नीति का एक नया निदेशक सिद्धांत (अनुच्छेद 43-बी)

☛ सहकारी समितियों के लिए संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा गया।

❖ 100वां संशोधन अधिनियम, 2015-

☛ भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते 1974 को आगे बढ़ाने के लिए, बांग्लादेश के साथ कुछ एन्क्लेव क्षेत्रों के आदान-प्रदान का उल्लेख किया गया है।

☛ भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में चार राज्यों (असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय) के क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया।

❖ 101वां संशोधन अधिनियम, 2016-

☛ गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) पेश किया गया था।

❖ 102वां संशोधन अधिनियम, 2018-

☛ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा दिया गया था।

❖ 103वां संशोधन अधिनियम, 2019-

☛ अनुच्छेद 15 के खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण, अर्थात सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिक या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के अलावा अन्य वर्ग जनजातियाँ।

❖ 104वां संशोधन अधिनियम, 2020-

☛ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा सत्तर साल से बढ़ाकर अस्सी कर दी गई। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया।

❖ 105वां संशोधन अधिनियम, 2021-

☛ संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी।

☛ इसके अलावा यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है।

☛ संविधान का अनुच्छेद- 338B केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) से परामर्श करना अनिवार्य करता है।

☛ संशोधन द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस अनिवार्यता से छूट दी गई है।

KHAN GLOBAL STUDIES
KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880

Polity

By : Karan Sir

भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन

	कम्पनी	देश	स्थापना	स्थल	गवर्नर
1.	पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कम्पनी (एस्तादो द इंडिया)	पुर्तगाल	1498 ई.	कालीकट	एफ. डी. अल्मीडा
2.	अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी (द गवर्नर एंड कम्पनी ऑफ ब्रिटेन मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज)	ब्रिटेन	1600 ई.	सूरत	सर टॉमस रो
3.	डच ईस्ट इंडिया कम्पनी	हॉलैण्ड	1602 ई.	मसूलीपट्टनम	विर्निच ओ
4.	डेनिश ईस्ट इंडिया कम्पनी	डेनमार्क	1616 ई.	सूतानाती	डिहस्तमान
5.	फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कम्पनी (द इंडेस ओरियंतलेस)	फ्रांस	1664 ई.	सूरत	कॉल्बर्ट/मार्टिन
6.	स्वीडिश ईस्ट इंडिया कम्पनी	स्वीडन	1731 ई.	गोहनबर्ग	विलियम-यूसेलिक्स

यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम : पुर्तगाली→ डच→ब्रिटिश→डेनिश→ फ्रांसीसी स्वीडिश

भारत का संवैधानिक विकास

ईस्ट इण्डिया कंपनी के अन्तर्गत

- रेग्यूलेटिंग एक्ट- 1773
- पिट्स इण्डिया एक्ट- 1784
- चार्टर एक्ट- 1793
- चार्टर एक्ट- 1813
- चार्टर एक्ट- 1853

ब्रिटिश क्राउन के अन्तर्गत

- भारत शासन अधिनियम - 1888
- भारत परिषद् अधिनियम - 1861
- भारत परिषद् अधिनियम - 1892
- भारत परिषद् अधिनियम - 1909
- भारत शासन अधिनियम - 1919
- भारत शासन अधिनियम - 1935
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम - 1947

◆ **रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 (Regulating Act, 1773)** – इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं-

☛ बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया।

☛ कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व चार सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई।

☛ कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774) की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे।

☛ अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का 'गवर्नर जनरल' कहा जाने लगा।

☛ इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल 'लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स' थे।

☛ इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने की प्रतिबंधित कर दिया गया।

☛ व्यापार की सभी सूचनाएँ क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया।

◆ **एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 (Act of Settlement, 1781)**

☛ रेग्युलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। इसके तहत, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिये भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई।

☛ इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था।

☛ इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है।

◆ **पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 (Pitt's India Act, 1784)**

☛ इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि 'निदेशक मंडल' (कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स) को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अभीक्षण (monitoring) की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिये 'नियंत्रण बोर्ड' (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई।

☛ यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्त्वपूर्ण था पहला भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम 'ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र' कहा गया; दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया।

☛ गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही, मद्रास तथा बंबई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया।

◆ **चार्टर अधिनियम, 1813 (Charter Act , 1813)**

☞ इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिये बढ़ा दिया गया व कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।

☞ लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर यह एकाधिकार बरकरार रखा गया। कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिशवासियों के लिये मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई।

☞ ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई।

☞ भारत में शिक्षा के लिये प्रतिवर्ष ₹ 1 लाख खर्च करने का प्रावधान भी किया गया।

◆ **चार्टर अधिनियम, 1833 (Charter Act , 1833)**

☞ कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णत: समाप्त कर दिये गए।

☞ बंगाल के गवर्नर जनरल को 'भारत का गवर्नर जनरल' कहा जाने लगा तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 'लॉर्ड विलियम बैंटिक' बना।

☞ मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को 'नियामक कानून' कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को 'एक्ट या अधिनियम' कहा गया।

☞ अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में तीन सदस्य होते थे, किंतु विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में 'विधि सदस्य' के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया।

☞ भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया व इस कार्य के लिये। 'विधि आयोग' का गठन किया गया। 'लॉर्ड मैकाले' की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया।

☞ इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिये खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया।

☞ भारत में दास प्रथा को गैर-कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठाए।

☞ भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट में मिलते हैं।

◆ **चार्टर अधिनियम, 1853 (Charter Act , 1853)**

☞ इसकी निर्माण तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिये तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिये किया गया था। इसके प्रमुख लक्षण थे-

☞ इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद (6 सदस्यीय) के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया।

☞ इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में (जब वह विधायिका के रूप में कार्यरत हो) 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, जिससे विधानपरिषद में कुल सदस्य संख्या बढ़कर 12 हो गई।

☞ इन 6 नए सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बंबई व आगरा प्रांत के एक-एक प्रतिनिधि शामिल थे।

☞ संपूर्ण भारत के लिये एक 'पृथक् विधान परिषद' की स्थापना की गई और इसी परिषद ने आगे चलकर 'लघु संसद' का रूप ग्रहण कर लिया।

☞ इसने निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी।

☞ इसके द्वारा भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद में सर्वप्रथम 'क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व' के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया।

◆ **भारतीय संविधान के विकास का इतिहास द्वितीय चरण**

भारत शासन अधिनियम, 1858 (Government of India Act, 1858)— 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गए, जो निम्नलिखित हैं-

☞ 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' तथा श्बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को 'भारत राज्य सचिव' (Secretary of State for India) का पद प्रदान किया गया।

☞ भारत राज्य सचिव की सहायता के लिये एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया।

☞ भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया।

☞ भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था।

☞ भारत के गवर्नर जनरल को 'वायसराय' की उपाधि दी गई।

☞ भारत का प्रथम वायसराय 'लॉर्ड कैनिंग' बना।

◆ **भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 (Indian Council Act, 1861)**

☞ इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से अड़ाकर 5 कर दी गई।

☞ वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था।

☞ 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया।

- वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया।
- इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की।

◆ **भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 (Indian Council Act, 1892)**

- इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य (गैर-सरकारी) निर्धारित किये गए।
- परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया।
- केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधान किये गए।

◆ **भारतीय परिषद अधिनियम, (मॉर्ले-मिंटो सुधार), 1909 (Indian Council Act, 1909)**

- केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई, तो प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था थी।
- सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त, होने वाले प्रथम भारतीय थे।
- विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद-विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला।
- इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक् निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई।
- पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिये भी पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था की गई।

◆ **भारत शासन अधिनियम, 1919 (Government of India Act, 1919)**

- इसे 'मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार' के नाम से भी जाना जाता है। मॉण्टेग्यू भारत के राज्य सचिव व चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे।

प्रमुख प्रावधान

- केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई- प्रथम, राज्य परिषद तथा दूसरी, केंद्रीय विधान सभा।
- देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई।
- प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बाँटा गया- हस्तांतरित और आरक्षित।

हस्तांतरित विषय (Transferred Subjects)

- इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे।
- इन विषयों का संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था।

आरक्षित विषय (Reserved Subjects)

- रक्षा, विदेश मामले, वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस- पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटरगाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह एवं सार्वजनिक सेवाएँ आदि।
- आरक्षित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था।
- विधान परिषद में तीन प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई-
  (i) निर्वाचित (Elected)
  (ii) मनोनीत सरकारी (Nominated Governmental)
  (iii) मनोनीत गैर-सरकारी (Nominated Non-Governmental)
- निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 71 प्रतिशत, मनोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या लगभग 18 प्रतिशत तथा मनोनीत गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या 11 प्रतिशत रखी गई थी।
- सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई।
- इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
- निर्वाचक क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित किया गया सामान्य तथा विशिष्ट सामान्य वर्ग में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल-भारतीय, सिख आदि; जबकि विशिष्ट वर्ग भू-स्वामियों, विश्वविद्यालयों, व्यापार मंडलों आदि का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया।
- इसने साप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों तथा यूरोपियों के लिये भी पृथक् निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया।
- इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया।

◆ **भारत शासन अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935)**

- 1930-32 में लंदन में हुए तीन गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित संस्तुतियों के फलस्वरूप इस अधिनियम का निर्माण किया गया।
- भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई।
- केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना अर्थात् केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया (तीन सूचियों के अंतर्गत)- संघ सूची, प्रांत सूची तथा समवर्ती सूची।

- संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किये गए।
- प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया।
- इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई।
- वर्मा (वर्तमान म्यांमार) को भारत से (1937 में) अलग कर दिया गया।
- प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में दो सदनों की व्यवस्था की गई (6 प्रांत- असम, बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास एवं संयुक्त प्रांत)।
- इसके अंतर्गत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।
- इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिये अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की।
- मताधिकार का विस्तार हुआ। लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या को मत का अधिकार प्राप्त हुआ।
- इसने न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और दो या दो से अधिक राज्यों के लिये संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की।

◆ **क्रिप्स मिशन, 1942 (Cripps Mission, 1942)**

- क्रिप्स मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था।
- चर्चिल 11 मार्च, 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 22 मार्च, 1942 को क्रिप्स मिशन (एकल प्रतिनिधि) भारत पहुँचा।

क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएँ अधोलिखित थीं-

- क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है, जितनी जल्द संभव हो सके, भारत में स्वशासन की स्थापना अर्थात् युद्ध के बाद भारत को 'डोमिनियन स्टेटस' दिया जाएगा।
- युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

◆ **भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (Indian Indepndence Act, 1947)** — इस अधिनियम द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया। गया। इसके अंतर्गत की गई प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं-

- 15 अगस्त, 1947 ई. को 'भारत' एवं 'पाकिस्तान' नामक दो अधिराज्य बना दिये जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी।
- प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा।
- नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम, 1935 के अनुसार चलाया जाएगा।
- भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल को सचिव की नियुक्ति की जाएगी।
- देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

❑❑❑

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR